(का.) 07692–220444
(नि.) 07692–220301
(फेक्स) – 07692–220990

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी (म.प्र.)

//आदेश//

क्र. 880 राहत/पेयजल/कलेक्टर/सिवनी/2016, दिनांक – 14.2.2017

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग (राहत शाखा) भोपाल द्वारा सूखा पेयजल संकट या अन्य समस्याओं से निपटने के संबध में 03 नवम्बर 2007 से जारी प्रभावशील स्थाई निर्देश की कंडिका 43 पर उल्लेखित म.प्र. पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 के संशोधित अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सम्पूर्ण सिवनी जिले के शहरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रो को तत्काल प्रभाव से आगामी वर्षा ऋतु प्रांरभ होने तक जल आभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाता है।

01. अवर्षा की स्थिति को देखते हुए कोई भी व्यक्ति बिना अनुज्ञा के जिले के शहरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रो में किसी भी शासकीय भूमि के जल स्त्रोत से पेयजल तथा घरेलू प्रयोजन को छोड़कर औद्योगिक या अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए किन्हीं भी साधनों के द्वारा जल उपयोग नहीं करेगा।
02. जिले के शहरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रो में बिना अनुज्ञा के समस्त नदी, नालों, स्टॉपडेम, सार्वजनिक कुओं, झिरिया तथा अन्य स्त्रोतो का जल, पेयजल तथा घरेलू प्रायोजन को छोड़कर औद्योगिक या अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए किन्हीं भी साधनों के द्वारा उपयोग नहीं करेगा।
03. जिले के शहरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रो में कोई भी व्यक्ति इस कार्यालय के बिना पूर्व अनुमति के किसी भी प्रयोजन के लिए नवीन नलकूप खनन् नहीं करेगा। यदि कोई भी व्यक्ति आदेश के उल्लघंन में नवीन नलकूप खनन् करता है तो अधिनियम की धारा 9 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्ड़नीय कार्यवाही की जा सकती है।
04. जिले के शहरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रो में यदि कोई व्यक्ति सिंचाई अथवा औद्योगिक प्रयोजन के लिए पानी के उपयोग की अनुमति तथा नलकूप खनन् की अनुमति चाहता है तब उक्त अधिनियम की धारा 4 व 6 में संबंधित नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप एवं फीस के साथ संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ग्रामीण को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस कार्य हेतु जिले के शहरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रो में राजस्व अनुविभागीय अधिकारी को उनके क्षेत्राअधिकार के अंतर्गत इस निमित प्राधिकृत किया जाता है।
05. अनुविभागीय अधिकारी अनुज्ञा देने से पूर्व आवश्यक जॉच कार्यवाही संपन्न करा लेवें और अनुज्ञा दिये जाने के संबंध में शहरीय क्षेत्र में संबधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्रो में कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग से अभिमत एवं अनुशंसा प्राप्त करेंगें।
06. उपरोक्त आदेश एवं प्रावधानों को प्रभावी कारगर रूप से क्रियान्वित करने का दायित्व संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग/मुख्य नगरपालिका अधिकारी का होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा।

14/02/2017

(धनराजू एस.)
कलेक्टर, सिवनी